

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 4 (143) आकाशि/नि.स./1973/

9/16
आदेश

दिनांक- 14/8/2017

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अकादमी सत्र 2017-18 से निम्नलिखित महाविद्यालय को स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जात है:-

| महाविद्यालय का नाम व पता | सम्बद्ध विषय/विद्यालय | नवीन संकाय/विषय |
|--|--|--|
| ओकारगल संपत्ती समिती महाविद्यालय, राजस्थान नेशनल नगर, बीकानेर रोड, जोधपुर। | जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर। | अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर- कला संकाय-भूगोल, गृहविज्ञान, संगीत, मनोविज्ञान, अंग्रेजी साहित्य, हिन्दी साहित्य, राजस्थानी, संस्कृत साहित्य, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीतिविज्ञान, लोकप्रशासन, समाजशास्त्र, उर्दू। विज्ञान संकाय- प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान, भूगोल, मनोविज्ञान। बीबीए स्नातकोत्तर स्तर पर- एम.बीएम-व्यावसायिक प्रशासन। |

- संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी.बी.बी.ए.ई. से संबद्धता प्राप्त करने का दाखिल स्वयं संस्था का होगा।
- संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अहंताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानकनुसार अधीक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
- राज्य सरकार संस्था का वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
- संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
- संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी।
- संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कर्मवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
- संस्था को अत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
- संस्था को हर वर्ष की अवधि में NAAC से नूतनांकन करवाना अनिवार्य होगा।
- संबंधित महाविद्यालयों को बी.बी.बी.ए.ई. के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करना होगी।
- राज्य प्रति एवं आयुक्तालय/राजकीय राजकीय महाविद्यालय/विभाग की वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से साठ्यकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विवरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएं भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार का वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करे। इस डाटा के आधार पर भारत संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों का उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत कर लिया जावेगा।

आयुक्तालय
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)

- प्रतिरिक्त निम्नलिखित का सूचक एवं आवेदन कार्यवाही हेतु भेजा है -
- विशेष महानिदेशक, ना0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 - मिजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - जिला कलेक्टर, जोधपुर।
 - कुल सचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
 - सचिव, संयुक्त महाविद्यालय।
 - संयुक्त-निदेशक (नि.सं.) कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)
 - संयुक्त-निदेशक (नि.सं.) कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)

संयुक्त-निदेशक (नि.सं.)
कालेज शिक्षा, जयपुर(राज.)



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (143)आकाशि/नि.सं./1973/

1164

दिनांक:-

18/4/2022

आदेश

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन निजी महाविद्यालय नीति के अन्तर्गत सत्र 2021-22 से स्नातक स्तर पर नवीन विषय/ संकाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है

| संचालक संस्था | महाविद्यालय का नाम | सम्बद्ध विश्वविद्यालय | नवीन संकाय व विषय |
|-----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर। | आंकारमल सोमानी वाणिज्य महाविद्यालय, कमला नेहरू नगर, चौपासनी रोड, जोधपुर। | जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर। | बीसीए। |


1. संस्था प्रत्येक सत्र में निरीक्षण करवाने हेतु नियमानुसार निरीक्षण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाईन प्रपत्र प्रस्तुत करेगी।
2. संस्था प्रति वर्ष विभाग के NOC पोर्टल पर आवश्यक सांख्यिकी एवं महाविद्यालय की सूचनाएं निर्धारित अवधि में भरकर अपलोड करेगी।
3. आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
4. संस्था को समय-समय पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में वी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाये।
6. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
7. संस्था द्वारा सावधि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
8. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-साथ अन्य निर्धारित शर्तों की पालना करेगी।
9. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
10. संस्था संकाय व विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित करेगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तय संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
11. राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2021-22 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेब पोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय अपलोड प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार आयुक्तालय में प्रस्तुत करेगा। उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहरित कर लिया जायेगा।


आयुक्त

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
5. कुल सचिव, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
7. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(नि0सं0)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर